

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति चाद संख्या :-340 / 2023-24

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

सुगो देवी.....आवेदक / विक्रेता

बनाम

अमर मुण्डा.....विपक्षी / क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख

12.12.2023

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कार्यवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित

आदेश

आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमती सुगो देवी पिता/पति रहेदर पहान ग्राम-एरेण्डा, थाना-खूँटी, जिला-खूँटी के द्वारा निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु (online) आवेदन किया गया है।

भूमि का विवरण

ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा(एकड़ में)
एरेण्डा	240	30	115	0.04

आवेदक/आवेदिका के द्वारा समर्पित किये गये आवेदन पत्र के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमती सुगो देवी पिता/पति रहेदर पहान ग्राम-एरेण्डा, थाना-खूँटी, जिला-खूँटी को मकान निर्माण हेतु राशि की आवश्यकता है जिस कारण उनके द्वारा प्रश्नगत भूमि को क्रेता श्री/श्रीमती अमर मुण्डा पिता/पति स्व० सादेन मुण्डा ग्राम-कंदवाटोली, थाना-खूँटी, जिला-खूँटी को विक्री करना चाहते/चाहती है।

उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाण पत्र/खतियान एवं लगान की रसीद 0448901009 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। उक्त भूमि में किसी के द्वारा कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है। अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 941 दिनांक 09.12.2023 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, खूँटी के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि प्रश्नगत भूमि आवेदक/आवेदिका का खरीदगी भूमि है, आवेदक पंजी II रैयत स्वयं है। प्रश्नगत भूमि की ऑनलाईन पंजी II के भाग सं० 2 के पृष्ठ सं० 137 पर जमाबंदी दर्ज है।

आवेदक/आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना खूँटी के निवासी हैं एवं एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे में है, को मकान निर्माण कराने हेतु विक्री करना चाहते हैं।

अंचल अधिकारी, खूँटी के जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि विक्रेता एवं